रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2001/आश्विन 17, 1923
No. 274] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2001/ASVINA 17, 1923

देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

शुद्धि पत्र

देवास, 4 अक्तूबर, 2001

भारत का राजपत्र असाधारण भाग III—खण्ड 4: प्राधिकार से प्रकाशित—सं. 141, नई दिल्ली, शुक्रवार जून 1, 2001/ज्येष्ठ 11, 1923

देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिसूचना, देवास, 29 मई, 2001

देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2001 में निम्नानुसार सुधार अपेक्षित हैं :—

1. पृ. क्र. 2 के बिन्दु क्र. (ङ) "बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत, देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

"बैंक" से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभिप्रेत है।

2. पृ. क्र. 2 के बिन्दु क्र. (थ) "प्रायोजक बैंक" से **यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया अभिप्रेत है।** और

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

"प्रायोजक बैंक" से **बैंक ऑफ इंडिया** अभिप्रेत है। और,

3. **पृ. क्र. 13 का बिन्दु क्र II कर्मचारी : के अंतिम पैरेग्राफ ? में निम्नानुसार लाइनें छापी नहीं गई हैं :—**

परन्तु यह भी कि कोई जांच कराने की आवश्यकता नहीं है यदि :

(i) ऐसे मामलों में यदि कदाचार सिद्ध भी हो जाता है, बैंक निष्कासन अथवा बरखास्तगी का दण्ड लगाने का इरादा नहीं रखता है ; और

(ii) बैंक ने कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है जिसमें उसे कदाचार और ऐसे कदाचार के लिए मिलने वाले दण्ड के बारे में कहा गया है ; और

(iii) कर्मचारी ने उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर में अपने दोष को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है।

4. पृ.क्र. 13 के बिन्दु क्र 39 "**प्रक्रिया के अधित्याग**' में (ङ) :—जहां विनियम 38 की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

जहां विनियम 38 **के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित व्यवहारिक नहीं था परन्तु यह** की अपेक्षा का अधित्याग नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा करने के कारणों को लिखित में और बोर्ड के समक्ष नहीं रखा जाता है।

5. पृ.क्र. 13 के बिन्दु क्र 42 "**भ्रष्ट प्रक्रियाएं**" :— इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते भी, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कि वे अधिकारी अथवा **कम्चारी** भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है, अर्थात् :

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

इन विनियमों में वर्णित किसी बात के होते भी, निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे जहां यह आरोप लगाया जाता है कि वे अधिकारी अथवा **कर्मचारी** भ्रष्ट प्रक्रियाओं का दोषी पाया गया है, अर्थात् :

6. पृ.क्र. 14 के बिन्दु क्र 44 का बिन्दु (i) :—कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप से निलम्बनाधीन है जिसने **अधिवर्षिता की आयु** के पश्चात् भी अनुशासनिक कार्रवाई जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके संबंध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा। ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी जो कदाचार के आरोप से निलम्बनाधीन है जिसने अधिवर्षिता की **आयु प्राप्त कर ली है उसे अधिवर्षिता की आयु** के पश्चात् भी अनुशासनिक कार्रवाई जारी रखने तथा समाप्त करने तक तथा उसके संबंध में अंतिम आदेशों के पारित होने तक विशिष्ट प्रयोजन हेतु सेवा में माना जाएगा। ऐसा निलम्बित अधिकारी अथवा कर्मचारी अधिवर्षिता की तारीख से परे अवधि के लिए किसी गुजारा भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा।

7. पृ.क्र. 18 के बिन्दु क्र 60 "बिमारी छुट्टी" का (1) :— प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बिमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी दस दिन की दो किस्तों, प्रत्येक केलेण्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में **नामे डाली** जाएगी।

सही वाक्य निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी के बिमारी छुट्टी/मेडिकल छुट्टी अग्रिम में मेडिकल छुट्टी दस दिन की दो किस्तों, प्रत्येक केलेण्डर वर्ष की जनवरी और जुलाई के प्रथम दिन में **जमा की** जाएगी।

8. पृ.क्र. 20 के बिन्दु क्र 67 "कार्यग्रहण अवधि" का (7) :— किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थनान्तरण होने पर कोई ग्रहण समय नहीं दिया जाएगा।

सही वाक्य निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसके अनुरोध से स्थानान्तरण होने पर कोई **कार्यग्रहण** समय नहीं दिया जाएगा।

9. पृ.क्र. 21 अनुसूची- I (विनियम 18 देखें) "निष्ठा और गोपनीयता की शपथ" की प्रथम लाइन :—मैं एतद्द्वारा शपथ करता/करती हूं कि मैं **रिक्त स्थान** बैंक के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक

सही वाक्य निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

मैं एतद्द्वारा शपथ करता/करती हूं कि .....

एतद्द्वारा शपथ करता/करती हूं कि मैं **देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** के अधिकारी या कर्मचारी के रूप में और उक्त बैंक

10. पृ.क्र. 23 प्रथम पैरा में No. **Pub**/Personnel/467

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

पृ.क्र. 23 प्रथम पैरा में No. **HO**/Personnel/467

11. पृ.क्र. 28 बिन्दु क्र. 17 के पैरा की प्रथम लाइन Every officer or employee of the Bank shall के आगे शब्द **Conform** स्पष्ट नहीं छपा है।

12. पृ.क्र. 43 SCHEDULE I Declaration of Fidelity and Secrecy—के प्रथम पेरा में

I ..... do hereby declare that I well faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the **Sagar Gramin Bank** and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

I ..... do hereby declare that I well faithfully, truly and to the best of my skill and ability execute and perform the duties required of me as officer or employee of the **Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank** and which properly relate the office or position held by me in the said Bank.

13. पृ.क्र. 43 SCHEDULE III—Form B—Declaration of Domicile—के प्रथम पैरा की प्रथम लाइन में

I, the undersigned, having been appointed in the service of the **Sagar Gramin Bank** hereby declare

सही निम्नानुसार छापा जाना चाहिए था :—

Form B—Declaration of Domicile—के प्रथम पैरा की प्रथम लाइन में

I, the undersigned, having been appointed in the service of the **Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank** hereby declare

ह./- (अपठनीय)

अध्यक्ष

[ADVT/III/IV/169/01(Exty)]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.